

Order No:- 229L/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 18.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Ramcharan Bohra** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 336 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AADVIK NANDWANA	MADHU SUDHAN NANDWANA, MOB- 9887611101	2	NO. 5 JAIPUR
2	MANUSHREE KHANDELWAL	लक्ष्मण स्वरूप गुप्ता, EMAIL- DR.LSGUPTA@YAHOO.COM	9	NO. 1 JAIPUR
3	RACHIT SHARMA	मनोज शर्मा, मो- 9887901464	2	NO. 6 JAIPUR
4	YATHARTH TIWARI	राहुल तिवारी, मो- 9352425950	2	NO. 1 JAIPUR
5	AARUSH SHARMA	विनोद कुमार शर्मा, मो- 9413330668	1	NO. 5 JAIPUR
6	ARPITA SHARMA	खेमचन्द शर्मा, मो- 9462042583	2	NO. 5 JAIPUR
7	PRIANSHU KUMARI	शम्भू कुमार यादव, मो- 8562009350	1	NO. 1 JAIPUR
8	GYANVI SINGH AVANA	अखिल अवाना, मो- 8302872032	7	NO. 1 JAIPUR
9	NIHARIKA SHARMA	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		
10	DAKSH SINGH BHATI	पवन सिंह भाटी, मो- 9460534781	7	NO. 5 JAIPUR

पिया ठाकुर कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।



संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Ramcharan Bohra माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, JAIPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

